Supportive Supervision Vahecle Hiring Block wise Information

Sl No	Name of Division	Name of District	Name of Block	Vehicle No	Date of hiring	Agreement Copy Attached
1	Basti	Basti	Parasrampur	UP51T9855	02.04.2017	Attached
2			Vikramjot	UP51T9075	02.04.2017	
3			Dubaulia	UP51AT2160	02.04.2017	
4			Harraiya	UP32FH7699	02.04.2017	
5			Kaptanganj	UP51AE8656	02.04.2017	
6			Marwatia (Sadar)	UP51AT2151	02.04.2017	
7			Bahadurpur	UP51AT0721	02.04.2017	
8			Kudaraha	UP51X8085	02.04.2017	
9			Bankati	UP51AT0421	02.04.2017	
10			Saughat	UP51Y9612	02.04.2017	
11			Sultauwa	UP51AT3333	02.04.2017	
12			Bhanpur(Ram Nagar)	UP51Y7212	02.04.2017	
13			Gaur	UP51W0298	02.04.2017	
14			Rudhauli	UP51AA7680	02.04.2017	

(1)

ACMO-RCH, Basti	Chief Medical Officer, Basti
Dy C.M.O. (R.C.H.) Basti	Chief Medical Officer Basti

इस वर्ष का Agreement लगा है

Supportive Supervision Vahecle Hiring District Level Information 2017-18							
Sl No	Name of District	Name of Agreement Signature Officer	Vehicle No.1	Date of hiring	Vehicle No.2	Date of hiring	Agreement Copy Attached
1	Basti	CMO Basti	UP45T4611	02.04.2017	UP56T4546	02.04.2017	Attached

ACMO-RCH, Basti	Chief Medical Officer, Basti

Dy C.M.O. (R.C.H.)
Basti

Chief Medical Officer
Basti

Supportive Supervision Vahecle Hiring District Level Information 2017-18							
Sl No	Name of District	Name of Agreement Signature Officer	Vehicle No.1	Date of hiring	Vehicle No.2	Date of hiring	Agreement Copy Attached
1	Basti	AD Office Basti	UP51AH0223	02.04.2017	UP51AT2131	02.04.2017	

ACMO-RCH, Basti	Chief Medical Officer, Basti

Dy C.M.O. (R.C.H.)
Basti

Chief Medical Officer
Basti

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

CC 950012

प्रथम पक्षकार-- मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती।

द्वितीय पक्षकार--सौरभ ट्रेडर्स एण्ड ट्रेबल्स एजेन्सी ग्राम राघोपुर पोस्ट रामपुर कारखाना जिला देवरिया

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती द्वारा एन0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0बी0एस0के0 एंव मानीटरिंग सुपरवीजन हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु में आज दिनांक 29--05--2015 को जनपद बस्ती में सम्पादित किया गया । इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 31 मार्च,2016 तक अथवा अगला अनुवन्ध गठित होने अथवा निविदा निस्तारण की तिथि तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जनपद बस्ती के समस्त सामुदायिक/प्रा0स्वा0 केन्द्रों.पर अधिकारियों द्वारा की जाने वाली मानीटरिंग एंव आर0बी0एस0के0 योजना के अन्तर्गत वाहन संचालन हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न षर्तो का पूरा करेगा।

2. सेवा प्रदाता प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित आरबीएस0के0 हेतु तीस हजार तथा मानीटरिग सुपरवीजन हेतु पच्चीस हजार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिवाहन प्रतिमाह.किराये दर पर उपलब्ध करायेगा।

2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए।

क--वाहन पंजीकृत होना चाहिए।

ख--वाहन में प्रेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

ग-- दुर्घटना होने पर वाहन एंव लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार क्षति एंव उसकी पूर्ति की समस्त ज़िम्मेदारी वीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कम्प्रहेन्सिव इन्श्योरेंष के तहत मिलेगी।

3. वाहन का पूर्ण वीमा पंजीय एंव फिटनेस प्रमाण पत्र,टेक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है।

4 वाहन के संचालन एंव रखरखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग षुल्क टोलटेक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5 वाहन को 24 घन्टे चालू हालत में रखने एंव वाहन की साफ सफाई व आवष्यक रख रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कषाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की षर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूप्ये 300 --00 प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6 द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रूपया पचास हजार.. की धरोहर राषि बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 आदि के रूप में जमा है जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुवन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

6 एन0एच0एम0 कार्यक्रमण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन के सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोवाइल नं0 सामुदायिक/प्रा0स्वा0केन्द्र पर प्रदर्षित कराया जायेगा।

(signature)

वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एंव वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिष्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियन्त्रणकर्ता अधिकारी के निर्देषों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिष्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नषे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राषि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

8 द्वितीय पक्ष को आबंटित इकाई पर प्रातः 09.00 वजे से सांय 5.00 वजे तक अथवा आवश्यतानुसार रात्रि/दिन में कभी भी उपलब्ध करायेगा।

9 द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक का बीजक लागवुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिसवस तक अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिष्चित किया जायेगा।

10 वाहन की छोटी मोटी टूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी वडी टूट फूट भी 24 घन्टे में सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

11 अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद बस्ती के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोशजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पशटीकरण मांग सकता है एंव स्पशटीकरण का जबाब सन्तोशजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा,तथा धरोहर राषि भी जब्त की जा सकती है।

13. उक्त अनुवन्ध मात्र 31 मार्च,2016 तक अथवा अगली निविदा स्वीकृत होने तक लागू रहेगी।

स्थान बस्ती

दिनांक

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर का
नाम व पता सहित
ग्रा. राघापुर
पो. रामपुर कप्तानगंज
बस्ती
9453935914

अधिकारी
प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर
व मुहर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

29 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CT 360045

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार-- मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती।

द्वितीय पक्षकार--सौरभ ट्रेडर्स एण्ड ट्रेबल्स एजेन्सी ग्राम राघोपुर पोस्ट रामपुर कारखाना जिला देवरिया

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती द्वारा एन0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0बी0एस0के0 एंव मानीटरिंग सुपरवीजन हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु में आज दिनांक 04-04-2016 को जनपद बस्ती में सम्पादित किया गया । इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 31 मार्च,2017 तक अथवा अगला अनुवन्ध गठित होने अथवा निविदा निस्तारण की तिथि तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जनपद बस्ती के समस्त सामुदायिक/प्रा0स्वा0 केन्द्रों पर अधिकारियों द्वारा की जाने वाली मानीटरिंग एंव आर0बी0एस0के0 योजना के अन्तर्गत वाहन संचालन हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न शर्तो का पूरा करेगा।

2. सेवा प्रदाता प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित 45 वाहन रूपये 30,000 हजार प्रतिवाहन प्रतिमाह किराये दर पर उपलब्ध करायेगा।

2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए।

क--वाहन पंजीकृत होना चाहिए।

ख--वाहन में प्रेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

ग-- दुर्घटना होने पर वाहन एंव लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार क्षति एंव उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी वीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कम्प्रहेन्सिव इन्स्योरेंश के तहत मिलेगी।

3. वाहन का पूर्ण वीमा पंजीय एंव फिटनेस प्रमाण पत्र,टेक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है।

4. वाहन के संचालन एंव रखरखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क टोलटेक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5. वाहन को 24 घन्टे चालू हालत में रखने एंव वाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूप्ये 300 --00 प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रुपया पचास हजार. की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 आदि के रूप में जमा है जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुवन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

Yadav

6 एन0एच0एम0 कार्यक्रमण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन के सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोवाइल नं0 सामुदायिक/प्रा0स्वा0केन्द्र पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

7 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एंव वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियन्त्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

8 द्वितीय पक्ष को आबंटित इकाई पर प्रातः 09.00 वजे से सांय 5.00 वजे तक अथवा आवश्यतानुसार रात्रि/दिन में कभी भी उपलब्ध करायेगा।

9 द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक का बीजक लागवुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिसवस तक अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10 वाहन की छोटी मोटी टूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी वडी टूट फूट भी 24 घन्टे में सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

11 अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद बस्ती के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एंव स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा,तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

13. उक्त अनुवन्ध मात्र 31 मार्च,2017 तक अथवा अगली निविदा स्वीकृत होने तक लागू रहेगी।

स्थान बस्ती

दिनांक

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर का
नाम व पता सहित

[illegible]

9554959885

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर
व मुहर